तारीख हुक्म

दावे में था।

पूर्व में जो दावा पेश किया गया था वह इस वाद में प्रति. सं. 2 आरपीदनी के पक्ष में डिक्री किया गया था चूंकि ... जमाकालान [illegible] होने की स्थिति में पुनः उसी [illegible] समान को लेकर दावा पेश नहीं किया जा सकता। अतः उक्त दावा चलने काबिल नहीं है इसलिए [illegible] खारिज फरमावें। श्रीमानजी के समक्ष पूर्व में पेश दावे की आदेशिका की प्रति व दावा की प्रति पेश है।

अधिवक्ता पक्षकार की बहस सुनी गई कथन पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। बाद मनन व अवलोकन प्रतिवादी अधिवक्ता का प्रार्थना पत्र आ. 7 नि. 11 सीपीसी ~~[illegible]~~ स्वीकार किया जाकर वादी का वाद खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक [illegible] एवं [illegible] दण्डनायक
(फास्ट ट्रैक कोर्ट) फलोदी

पत्रावली पेश हुई । आज श्रीमान A.C.J.M./C.J.M. साहब दौरे / अवकाश पर है इसलिए पत्रावली दिनांक 11/9/19 को पेश हो।

8/19

11/9/19 प्रतिवादी अधिवक्ता उप.।

वादी अधिवक्ता को न्यायालय समय के दौरान बार-बार रूक-रूक कर आवाजे लगवाई गई लेकिन वादी अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ।

प्रतिवादी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र O/7 11 CPC पर अपनी बहस सुनाई। दौराने बहस वादी अधिवक्ता ने बताया की वादी द्वारा पूर्व में भी इसी न्यायालय में धापु बनाम शारदा वगैरा के नाम से एक दावा पेश किया गया था जिसके ख.न. [illegible] सभी पक्षकार नहीं है और इस दावे में है। वादी द्वारा इस दावे में वाद भार अनुतोष भी नहीं है और पूर्व में पेश